

**कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी**

**संशोधित**

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक:- **19/भ0नि0वि0/न0नि0/2022-23**  
विषय:- **अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**  
महोदय,

दिनांक:- , 2022

कृपया श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री दशरथ सिंह व श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह व श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री अशोक यादव निवासीगण- ग्राम मैरी तहसील व जिला झाँसी (उ0प्र0) के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2022 में मौजा/मुहल्ला डडियापुरा झाँसी के आराजी संख्या/भवन सं0 70 रकवा 0.353 हे0, 72 रकवा 0.243 हे0, 84 रकवा 0.097 हे0, 82 रकवा 0.040 हे0, 83 रकवा 0.045 हे0, 85 रकवा 0.441 हे0, 86 रकवा 0.162 हे0, 89 रकवा 0.170 हे0, 90 रकवा 0.049 हे0 कुल 9 किता रकवा 1.600 हे0 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय मकान/प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 172160 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 03.02.2022 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला डडियापुरा झाँसी की आराजी संख्या/भवन सं0 70 रकवा 0.353 हे0, 72 रकवा 0.243 हे0, 84 रकवा 0.097 हे0, 82 रकवा 0.040 हे0, 83 रकवा 0.045 हे0, 85 रकवा 0.441 हे0, 86 रकवा 0.162 हे0, 89 रकवा 0.170 हे0, 90 रकवा 0.049 हे0 कुल 9 किता रकवा 1.600 हे0 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने जरिये खतौनी खाता संख्या 331, 332, 333 आवेदक स्वयं सहखातेदार है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम दर्ज कागजाद है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुर्नवास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार की आख्या दिनांक 21.04.2022 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला डडियापुरा झाँसी के आराजी संख्या/भवन सं0 70 रकवा 0.353 हे0, 72 रकवा 0.243 हे0, 84 रकवा 0.097 हे0, 82 रकवा 0.040 हे0, 83 रकवा 0.045 हे0, 85 रकवा 0.441 हे0, 86 रकवा 0.162 हे0, 89 रकवा 0.170 हे0, 90 रकवा 0.049 हे0 कुल 9 किता रकवा 1.600 हे0 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार व उप जिलाधिकारी सदर) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये है, जिसकी राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मलवा शुल्क रू0 1,97,368/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क रू0 1,72,160/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 2315/22 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला डडियापुरा झाँसी के गाटा संख्या 70 रकवा 0.353 हे0, 72 रकवा 0.243 हे0, 84 रकवा 0.097 हे0, 82 रकवा 0.040 हे0, 83 रकवा 0.045 हे0, 85 रकवा 0.441 हे0, 86 रकवा 0.162 हे0, 89 रकवा 0.170 हे0, 90 रकवा 0.049 हे0 कुल 9 किता रकवा 1.600 हे0 में नगर निगम का अंश नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा- 80 की कार्यवाही नहीं की गयी है।

आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर वर्णित भूमि कभी भी राज्य सरकार की नहीं रही है और न ही कभी सार्वजनिक उपयोग की रही है जो चौहद्दी दिखाई गयी है उसके अन्दर कोई भी सरकारी भूमि नहीं है और उस चौहद्दी से लगी सरकारी भूमि नहीं है। भूमि सम्बन्धी समस्त रिकार्ड का स्वामी राजस्व विभाग होता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रबंधन के रूप में दिये जाने में इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत्- पूरब- जमीन सुधा विहार, पश्चिम- जमीन दीगर व सड़क, उत्तर- सीमा मौजा मैरी, दक्षिण- भूमि सादिक अंसारी।

नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक:- **19/भ0नि0वि0/न0नि0/2022-23**

श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री दशरथ सिंह व श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह व श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री अशोक यादव निवासीगण- ग्राम मैरी तहसील व जिला झाँसी (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी  
दिनांक:- 17/08/2022

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी